

संख्या 1910-3 एस-69/18079

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त, अस्वाला मण्डल, तथा
सभी उपायुक्त और उप-मण्डल अधिकारी।

दिनांक चण्डीगढ़, 23 जुलाई, 1969

विषय : वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट--प्रतिकूल अभ्युक्तियां सूचित करना।

महोदय,

मुझे ऊपर लिखे विषय की ओर ध्यान दिलाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि संबंधित कर्मचारियों को वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की प्रतिकूल अभ्युक्तियां सूचित करने के बारे में एक बात स्पष्ट करना जरूरी हो गया है। ऐसे उदाहरण देखने में आए हैं, जहां प्रतिकूल अभ्युक्ति के प्रति प्रतिवेदन आने पर जब उन्हें अभ्युक्ति लिखने वाले अधिकारियों के पास टिप्पणी के लिए भेज दिया जाता है तो वे लिखते हैं कि अभ्युक्तियां प्रतिकूल नहीं थीं बल्कि उपदेशक थीं। इस विषय पर विचार किया गया है, और यह स्पष्ट है कि इस तरह की स्थिति उचित नहीं और मानी नहीं जा सकती, कि कोई अभ्युक्ति प्रतिकूल न हो बल्कि उपदेशक हो। इस का कारण यह है कि उपदेश देने का प्रश्न केवल तभी उठता है, जब त्रुटि या दोष के रूप में कोई प्रतिकूल बात नजर आई हो, अन्यथा उपदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अतिरिक्त यह दस्तूर है कि जब कभी किसी कर्मचारी को प्रतिकूल अभ्युक्ति सूचित की जाती है, उसके साथ हमेशा यह उपदेश दिया जाता है कि उसे संबंधित दोष को दूर करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस तरह का कथन कि अभ्युक्ति प्रतिकूल नहीं बल्कि केवल उपदेशक है, स्वविरोधी है और इसे उचित नहीं कहा जा सकता; तथा यदि कोई उपदेश दिया जाए तो यह केवल किसी दोष के संबंध में हो सकता है जिसे दूर करना होगा। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि जब भी वार्षिक रिपोर्ट में अभ्युक्तियां लिखी जाती हैं या ऐसी अभ्युक्तियों के विरुद्ध प्रतिवेदन पर विचार किया जाता है तो आप और आपके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को यह स्थिति सावधानी से ध्यान में रखनी चाहिए।

2. आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की प्राप्ति भेजी जाए।

भवदीय,

हस्ता/-

उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं
कृते: मुख्य-सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति :-

वित्त कमिश्नर, राजस्व, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनाएं भेजी जाती है।